



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-58

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 268754 दिनांक 26/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rakesh Goyal S/o Ganpat Lal Goyal	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री मनमोहन शर्मा	263	355.73 SQ. YARD	Cooperative	SCHEME NO 10 SURYA NAGAR Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	श्रीमती प्रेमलता द्वारा भूखण्ड संख्या 263 क्षेत्रफल 355.73 वर्ग गज को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.09.2013 को श्री शेखर शर्मा पुत्र श्री शैलेन्द्र शर्मा के पक्ष में विक्रय किया गया है। श्री शेखर शर्मा पुत्र श्री शैलेन्द्र शर्मा ने भी उक्त भूखण्ड संख्या - 263 को कुल क्षेत्रफल 355.73 वर्गगज में से 144.44 वर्गगज को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.10.2015 के द्वारा श्रीगणपत लाल गोयल पुत्र श्री जगन्नाथ सर्राफ के पक्ष में बैचान किय गया हैं। श्रीगणपत लाल गोयल पुत्र श्री जगन्नाथ सर्राफ



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

की मृत्यु दिनांक 08.05.2019 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु के पश्चात् इनके विधिक वारिस 1. श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व. श्री गणपत लाल गोयल 2. श्री रामरज गोयल पुत्र स्व. श्री गणपत लाल गोयल 3. श्रीमती विजय गुप्ता पुत्री स्व. श्री गणपत लाल गोयल 4. श्रीमती ममता गुप्ता पुत्री स्व. श्री गणपत लाल गोयल ने उक्त भूखण्ड संख्या 263 क्षेत्रफल 144.44 वर्गगज को पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 24.11.2021 को आवेकद श्री राकेश गोयल पुत्र श्री गणपत लाल गोयल के पक्ष में हकत्याग किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rakesh Goyal S/o Ganpat Lal Goyal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।